

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश  
पर्यावरण परिसर -ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक / टीसी / 01 / उपां / नग्रानि / भोपाल, दिनांक:- / / 2017  
प्रति,

1. कलेक्टर,  
जिला भोपाल ।
2. संयुक्त संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
जिला कार्यालय, भोपाल ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत, भोपाल  
जिला भोपाल ।
4. आयुक्त,  
नगरपालिक निगम, भोपाल ।  
जिला भोपाल ।

विषय:- भोपाल विकास योजना 2005 में उपान्तरण बाबत ।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल द्वारा भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया हैं। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा हैं ।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें ।

संलग्न :- यथोपरि

(संदीप यादव)

आयुक्त सह संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश

भोपाल

दिनांक:- 13/11/2017

6276

पृ.क्रमांक / टीसी / 01 / उपां / नग्रानि / भोपाल  
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय,  
भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ ।
2. संयुक्त संचालक, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को  
वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित ।

आयुक्त सह संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
म0प्र0भोपाल

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश  
मध्यप्रदेश, भोपाल

सूचना

6273

भोपाल, दिनांक 13/11/2017

क्रमांक 01/उपां/टीसी/भोपाल/2017 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट भोपाल विकास योजना 2005 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।


अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् भू-उपयोग
1.	2.	3	4	5	6
1.	ग्राम अचारपुरा	खसरा न. 259/2, 261, 267/2/1	रकबा 7.850 0.640 1.627	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक
		कुल रकबा	10.117 हेक्टेयर		

शर्त:- विद्यमान मार्ग को बाउड्रीवाल/गेट के द्वारा अवरूद्ध किया जाना मान्य नहीं होगा।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, भोपाल तथा [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के सम्बंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल, को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर संचालक द्वारा विचार किया जाएगा।

  
(संदीप यादव)

आयुक्त सह संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश

M 00प्र0भोपाल

**Directorate, Town and Country planning,  
Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony,  
Bhopal Madhya Pradesh**

**Notice**

Bhopal, Dated. 13 / 11 / 2017

No. 6273 01/TC/Bhopal :: In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (I) of section 23-A of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973). The Director, hereby proposes the following modifications for public information in the Bhopal Development Plan, 2005 as specified in the schedule hereunder, namely :-

**SCHEDULE**

No	Village	Khasara No.	Area(In Ha.)	Land use specified in the Development plan	Proposed land use after modifications
1	2	3	4	5	6
1.	Gram Acharpura	259/2, 261, 267/2/1	7.850 0.640 1.627	Agriculture	Public and Semipublic
		Total	10.117 Ha.		

**Condition:- The existing road shall not be allowed to be blocked by boundry wall/gate.**

Details of the proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Joint Director, Town and Country Planning, District Bhopal as well as on the web site. [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) for a period of 15 days from the date of publication of this notice.

Any objection and suggestions with respect to the said modifications may be submitted by any person to the Director, Town and Country Planning Bhopal Madhya Pradesh or Joint Director, Town and Country Planning, District office Bhopal, in writing within a

period of 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers and such objections and suggestions which may be received before the expiry of the period specified above will be considered by the Director .

*Sad*  
*9.11.17*  
**( Sandeep Yadav )**  
**Commissioner cum Director**  
**Town and Country Planning**  
**Madhya Pradesh Bhopal**